ई. मेल एवं डाक द्वारा

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. LSM/1/2018/MCVL1/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांक: **29.08.2018**

सेवा में

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
श्राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट,
नई दिल्ली–110023

विषयः श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कथित भेदभाव कर विदेश में प्रशिक्षण के लिए न भेजने से संबंधित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 28.08.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **शीघ्र** भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस), एएआई, आईएनए कॉलोनी, पॉकेट–ए, नई दिल्ली–110023
2. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. LSM/1/2018/MCVL1/SEOTH/RU-III

श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस), भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को कथित भेदभाव कर विदेश में प्रशिक्षण के लिए न भेजने से संबंधित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 28.08.2018

आयोग को श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से दिनांक 02.08.2018 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने शिकायत की कि उनके विभाग द्वारा 06 कार्मिकों को सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है किंतु आवेदन करने के बावजूद उन्हें उक्त प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा रहा है। वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और नियमानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। एडीपी रेटिंग के आधार पर प्रशिक्षण हेतु नामांकन किया जाना निश्चित किया गया था किंतु नामित 03 कार्मिकों की एडीपी रेटिंग नहीं है। आवेदक के पास एडीपी रेटिंग होने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने वाले वे अनुसूचित जनजाति के एकमात्र अभ्यर्थी हैं।

आयोग ने नोटिस दिनांक 02.08.2018 द्वारा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली से 07 दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही। तत्पश्चात् दिनांक 10.08.2018 को स्मरण पत्र भी भेजा। उत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 14.08.2018 को सिटिंग नोटिस भेजकर दिनांक 21.08.2018 को सुनवाई रखी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 16.08.2018 द्वारा आयोग को मामले की जानकारी भेजी जिसमें मुख्यतः अवगत कराया गया कि जिन इच्छुक अधिकारियों को पूर्व में प्रशिक्षण नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है तथा ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों को देश के किसी भी स्टेशन पर निश्चित अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है। प्राधिकरण ने आयोग को यह जानकारी भी दी कि इलाहाबाद के सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज (सीएटीसी) में वायु यातायात नियंत्रण हेतु एयरोड्रोम विजुअल सिमुलेटर सिस्टम लगाया जा रहा है जिसके लिए 06 कार्मिकों को 04 सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु सिंगापुर भेजा जा रहा है जिसके लिए 22 अधिकारियों ने आवेदन किया जिसमें से 19 अनारक्षित, 02 अनुसूचित जाति तथा 01 अनुसूचित जनजाति (श्री लाखन सिंह मीना) थे। प्रशिक्षण के लिए चुनने का एक आधार सीएटीसी के रख–रखाव का अनुभव भी था क्योंकि सीएटीसी, इलाहाबाद में यह सिस्टम स्थापित किया जाना है तथा प्रशिक्षित कार्मिक को वहां 04 वर्ष सेवा देना आवश्यक था। सीएटीसी, इलाहाबाद के अनुसूचित जनजाति के किसी कार्मिक ने इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन नहीं किया तथा इस वर्ग के एकमात्र आवेदक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री मीना सीएटीसी, इलाहाबाद से बाहर के हैं। चूंकि वे वर्ष 2014 में इंद्रा एटीएम ऑटॉमेशन सिस्टम के प्रशिक्षण हेतु विदेश जा चुके हैं जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर शीघ्र शुरू होने वाला है, अतः उनकी सेवाओं की यहां आवश्यकता है। उक्त स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण हेतु नामित नहीं किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से यह जानकारी भी दी गई कि एडीपी रेटिंग न होने वाले कार्मिकों के नाम विदेश प्रशिक्षण से हटा दिए गए हैं तथा वर्ष 2017 में अनुसूचित जनजाति के 04 कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया है। वर्ष 2018 में 04 कार्मिकों को अब तक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा चुका है।

आयोग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त उक्त उत्तर की प्रति दिनांक 20.08.2018 को आवेदक को टिप्पणी हेतु भेजी एवं दिनांक 21.08.2018 को निर्धारित की गई बैठक स्थगित कर दी। आवेदक से दिनांक 21.08.2018 को रिज्वाइंडर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने प्राधिकरण के उत्तर का खण्डन किया है। तत्पश्चात् आयोग की माननीया उपाध्यक्ष ने दिनांक 28.08.2018 को प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ बैठक निश्चित की।

बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके तथा प्राधिकरण के सदस्य (मानव संसाधन) को बैठक हेतु आयोग में भेजा। प्राधिकरण ने अपने दिनांक 16.08.2018 के लिखित उत्तर के अनुसार ही पक्ष रखा। आवेदक ने अपने दिनांक 21.08.2018 के रिज्वाइंडर के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः—

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 5.88 प्रतिशत है जो कि आनुपातिक रूप से कम है। 02 सप्ताह से अधिक अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निरंक है।
2. आवेदक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति के एकमात्र अधिकारी हैं। प्राधिकरण के नियम किसी अधिकारी को दोबारा विदेश में प्रशिक्षण से बाधित नहीं करते हैं।
3. आवेदक के पास एडीपी रेटिंग है जो विदेश में प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों को नामित करने का आधार है। आवेदक के अनुसार प्रशिक्षण हेतु नामित किए गए 03 अधिकारियों के पास एडीपी रेटिंग नहीं है।
4. आवेदक इस तथ्य से अवगत हैं कि यह प्रशिक्षण पूर्ण करने पर उनकी तैनाती इलाहाबाद में की जा सकती है और वे इसके लिए तैयार हैं।

आयोग की अनुशंसाएंः—

मामले की सुनवाई के बाद आयोग अनुशंसा करता है कि अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस) को विदेश में इस प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। इस संबंध में तत्काल निर्णय लेते हुए आयोग को अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. LSM/1/2018/MCVL1/SEOTH/RU-III

श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कथित भेदभाव कर विदेश में प्रशिक्षण के लिए न भेजने से संबंधित अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, निजी सचिव
4. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी

1. श्री अनुज अग्रवाल, सदस्य (मानव संसाधन)
2. श्री जे.के. गोयल, महा प्रबंधक (मानव संसाधन)
3. श्री रवि कांत, महा प्रबंधक (सीएनएस)
4. श्री कुलदीप सिंह, संयुक्त महा प्रबंधक

आवेदक

श्री लाखन सिंह मीना, प्रबंधक (सीएनएस)